न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 9, कानपुर नगर।
सत्र परीक्षण संख्या – 1457/2011
सरकार बनाम हनीफ
05–10–2019:–

पत्रावली आज वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र 76ख नियत है। पुकार पर अभियुक्त हनीफ की आज की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत होकर आज हेतु स्वीकृत। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को विगत तिथि पर सुना जा चुका है। आदेश पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्र उपरोक्त अभियोजन की ओर से अन्तर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त दिनांक 03–10–2018 को बीमार हो जाने के कारण तारीख पेशी पर हाजिर नहीं आ सका और उसकी ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र अधिवक्ता द्वारा दिया गया था। उक्त तिथि पर पी0डब्लू0 2 अशोक राना, रिटायर्ड निरीक्षक साक्ष्य हेतु उपस्थित आये और उनकी मुख्य परीक्षा अंकित की गई, परन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता समय से जिरह हेतु नहीं पहुॅच सके और प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कोई उपस्थित न होने के कारण जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया। जिरह का अवसर समाप्त होने से प्रार्थी/अभियुक्त न्याय से वंचित हो जायेगा। साक्षी पी0डब्लू0 2 मुख्य गवाह है और पी0डब्लू0 2 ने ही गिरफ्तारी दर्शायी है। प्रार्थी/अभियुक्त ने जान बूझकर कोई गलती नहीं की है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभियुक्त को गवाह पी0डब्लू0 2 अशोक राना से जिरह का अवसर प्रदान किया जाये।

अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र के विरूद्ध लिखित में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 03–10–2018 को अभियुक्त की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो स्वीकृत हुआ तथा साक्षी पी0डब्लू0 2 अशोक राना की साक्ष्य अंकित हुई। जिरह हेतु कोई उपस्थित न होने के कारण जिरह निल की गई। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि साक्षी पी0डब्लू0 2 मुख्य गवाह है और पी0डब्लू0 2 ने ही गिरफ्तारी दर्शायी है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त को गवाह पी0डब्लू0 2 अशोक राना से जिरह का अवसर प्रदान किया जाये। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय को यथासम्भव व पक्षो को साक्षी से जिरह का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए।

अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्तो के आलोक में साक्षी पी0डब्लू0 2 अशोक राना, रिटायर्ड निरीक्षक का साक्ष्य प्रस्तुत प्रकरण के न्याय निर्णयन हेतु आवश्यक है। प्रार्थना पत्र 76ख हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 76ख अन्तर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 मुबलिग 500/–रूपया हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा 07 दिन में अदा हो। बाद अदायगी हर्जा आदेश दिनांकित 03–10–2018 अपास्त किया जाता है। अभियोजन नियत दिनांक को साक्षी पी0डब्लू0 2 अशोक राना, रिटायर्ड निरीक्षक को साक्ष्य हेतु तलब किया जाना सुनिश्चित करे।

पत्रावली साक्षी पी0डब्लू0 2 अशोक राना, रिटायर्ड निरीक्षक की साक्ष्य हेतु दिनांक 21–10–2019 पेश हो।

(विकास गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या 9, कानपुर नगर